

छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार 12(1)(सी) के 10 साल

दिसंबर 2021



छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार 12(1)(सी) के 10 साल

सारांश

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक नींव की तरह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में। जिस पर समाज का निर्माण होता है। इसके लिए संविधान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा (12)(1)(सी) को लागू किया गया, जिसके माध्यम से समाज में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। इसके अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को अपनी कुल सीट के 25% सीट पर RTE (12)(1)(सी) के तहत बच्चों का दाखिला लेना अनिवार्य है। उक्त प्रावधान लागू होने के दस वर्ष पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है।

छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य के रूप में RTE (12)(1)(C) अधिनियम को लागू करने में सबसे अग्रणी राज्य रहा है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पिछले दस वर्षों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा (12)(1)(सी) (RTE (12)(1)(C)) में किए कार्य एवं उपलब्धता को दर्शना है। यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में उपलब्ध आरटीई पोर्टल पर उपस्थित जानकारी के आधार पर तैयार की गयी है, जिसमें समाज में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चे, जो की इस अधिनियम का लाभ प्राप्त कर रहे, उनके शिक्षा एवं सामाजिक समावेशन के स्तर में आये सुधार का मूल्यांकन किया गया है। निम्न जानकारी के अंत में, किए गए मूल्यांकन के आधार पर कुछ सुझाव दिये गए हैं, जिससे मौजूदा प्रक्रियाओं किस प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं, एवं अन्य प्रणालियों का निर्माण किया जा सकता है, जिसके माध्यम से शिक्षा एवं सामाजिक समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने में और सहायता प्राप्त हो।

इस अधिनियम की स्थापना के बाद विगत 10 वर्षों में, निम्नलिखित विकास देखे गये हैं:-

- छात्रों में से 60% छात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और 40% सामाजिक रूप से वंचित समूहों में से हैं।
- राज्य में MIS पोर्टल की स्थापना 2017 में किया गया, जिसके माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया, ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया की शुरुवात की गयी, एवं RTE से संबन्धित किसी भी समस्या का निराकरण पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
- पोर्टल की स्थापना के बाद से तीन शैक्षणिक सत्रों में सीट भरने की दर में 14.5% की वृद्धि देखी गयी है। सत्र 2019-20 में जिला बिलासपुर में सर्वाधिक सीट एवं जिला नारायणपुर में सबसे कम सीट निर्धारित की गयी थी। जिला महासमुंद में सार्वधिक दाखिला कुल 85% एवं जिला बिलासपुर में सबसे कम 35% ही दाखिला हुआ था।
- आरटीई पोर्टल पर दर्ज सख्या के आधार पर यह पाया गया है, कि प्रारंभिक कक्षाओं के छात्र उच्च कक्षाओं के छात्रों की तुलना में शैक्षणिक मूल्यांकन में बेहतर ग्रेड प्राप्त करते हैं।
- 10 शैक्षणिक सत्रों में आरटीई सीटों से छात्रों की ड्रॉपआउट दर 21.45% है।
- निजी स्कूलों में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में शिक्षा का प्रकार एक मुख्य कारण है। राज्य भर में कुल 54% छात्र अपना पाठ्यक्रम हिंदी में, 44% अंग्रेजी में और 2% द्विभाषी रूप से सीखते हैं, हिंदी माध्यम के छात्र दूसरे माध्यम की तुलना में बेहतर प्रदर्शन एवं रैंक प्राप्त करते हैं।
- इस प्रावधान के तहत सभी शैक्षणिक वर्षों में बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का प्रवेश हुआ है। हालांकि, कुल छात्रों के अनुपात में लिंग अंतर 2010-11 में 10% से घटकर 2019-20 में 3% हो गया है।
- पोर्टल पर शिकायत निवारण के लिए तीन घटक प्रभावशाली है - जो की हेल्पलाइन नंबर , ईमेल व आरटीई पोर्टल है, इन तीनों से प्राप्त शिकायतों को वर्ष 2018-19 से निरंतर हल किया जा रहा है।

RTE के तहत पढ़ रहे छात्रों के लिए निर्धारित राशी का भुगतान राज्य एवं केंद्र से किया जाता है, लाभार्थी को प्राप्त होने वाली राशी में होने वाली देरी को दूर करने के लिए पोर्टल के माध्यम से हस्तक्षेप किया गया है। सत्र 2019-20 एवं वर्तमान में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) द्वारा अनुमोदित राशी 30% ही थी। वर्तमान में सत्र 2020-21, में कुल 161.5 करोड़ राशी का भुगतान राज्य स्तर से सीधे स्कूलों के अकाउंट में किया गया है। जो की वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक की लंबित राशी थी।

छत्तीसगढ़ में RTE 12(1)(c) के द्वारा इस समय कुल 3,01,317 छात्र पढ़ रहे हैं। राज्य के अनुसार RTE पोर्टल में कुल 6511 प्राइवेट स्कूल हैं, जिसमें वर्ष 2021-22 में कुल 83,006 सीट हैं, द्वितीय लॉटरी एवं लॉटरी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के पश्चात कुल 47,382 छात्रों का स्कूल में प्रवेश हुआ है जो की RTE सीट का 53.6% ही प्रवेश हुआ है।

इस रिपोर्ट के माध्यम से, हमने इस प्रावधान के प्रभाव को समझने की कोशिश करते हुए विश्लेषण किया, और पाया कि छत्तीसगढ़ राज्य में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) की जड़ें कितनी गहरी हैं। यद्यपि आरटीई 12(1)(सी) के तहत पढ़ने वाले बच्चों की संख्या एवं पंजीकृत निजी विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बच्चों को आयु-उपयुक्त कक्षाओं में स्कूलों में सामना करने के लिए समर्थन, शिक्षकों की क्षमता निर्माण, पदोन्नति को बढ़ावा देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं गैर-द्विआधारी समुदायों के लिए सीटें, शिकायत निवारण में राज्य अधिकृत निकाय की सक्रिय भागीदारी, और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के अनुकूलित डेटा संग्रह और बुनियादी ढांचे का विकास, जैसा कि अधिनियम में वादा किया गया था, जैसे कार्यों की ओर राज्य को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक अगले कदम लेने होंगे। इससे सामाजिक समावेश को सुनिश्चित करने और गुणवत्तापूर्ण हस्तक्षेप के साथ राज्य को सही दिशा में ले जाने और अगले दशक को और मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी।



आरटीई अभियान



स्कूल शिक्षा विभाग
शिक्षा का अधिकार (RTE) पोर्टल
छत्तीसगढ़ शासन

ईमेल आई.डी.
edu.rte-cg@nic.in

हेल्पलाइन नंबर
011-411-32689

तांतिग

आवश्यक नोट: सत्र 2021-22 के द्वितीय चरण के लिए छात्र पंजीयन प्रारम्भ है, जिसकी परिवर्तित अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2021 तक है।

45228
RTE कुल दाखिला पूर्ण (2021-22)

29
जिला

6511
स्कूल

83005

301317

राज्य में अधिनियम के प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रयासों की झलक।
ऊपर आरटीई ऑनलाइन पोर्टल का स्क्रीनशॉट है। स्कूलों और समुदायों में अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पैम्फलेट नीचे दिया गया है।

प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार
12वीं कक्षा तक

RTE धारा 12 के तहत, प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित हैं
31 मार्च 2021 को आयु 3-6.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए

दस्तावेज की जानकारी के लिए

मिस्ड कॉल करें
011- 411-32689

अन्य सभी जानकारी के लिए

नट्टी
3-4 साल

के.जी. 1
4-5 साल

कक्षा 1
5-6.5 साल

छत्तीसगढ़ राज्य में
83490
आर.टी.ई.
सीट हैं।

योग्यता:
असुविधाग्रस्त
समूह /
दुबल वर्ग

आवेदन भरना
15 मार्च 2021
से
प्रवेश
अप्रैल-जुलाई

वेबसाइट पर एप्लीकेशन भरे
<http://eduportal.cg.nic.in/rte/>

संपर्क/समस्या निवारण  समस्या निवारण के लिए वेबसाइट पर जाएँ

आवेदन फॉर्म की फोटोकॉपी ज़रूर लें

चॉइस सेंटर/इन्टरनेट कैफ़े से या स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भरें

आवेदन के पश्चात SMS द्वारा, समय समय पर जानकारी प्राप्त होगी

<http://eduportal.cg.nic.in/rte/>

फॉर्म भरने के निर्देश

1. आवेदन का फॉर्म ऑनलाइन खोलें
2. आवेदन का विवरण भरें (सामान्य जानकारी)
3. आवेदन का पता, जिला व आयु भरने पर, स्कूलों की सूची दिखाएगी
4. स्कूलों में से, इन स्कूलों में से, आवेदन का योग्यता के आधार पर स्कूल चुनें
5. आवेदन की पुनः जांच करें, जमा करें
6. आवेदन की पुनः जांच करें, जमा करें

दस्तावेज की जाँच करें, चरुता पत्र पर नया बतवाएँ

क्रमांक	वर्ग	सी. पी. एच.	एच.टी. एच.सी.	40% वार्षिक मार्गीयता दिखाएँ	एच. आर.टी. सी. सेक्रेटरी	अनाथ/परित्याक्त या आत्महत्या के शिकार
1	जन्म प्रमाण पत्र	✓	✓	✓	✓	✓
2	माता-पिता/अभिभावक का पता और पहचान पत्र	✓	✓	✓	✓	✓
3	सी पी एच सर्वे सूची 2002-03/2007-08 या अप्रैल एवं सामाजिक जातिगत जनगणना सूची 2011 या अप्रैल व सत्र कार्ड में से कोई एक	✓				
4	जाति प्रमाण पत्र		✓			
5	मैट्रिकल प्रमाण पत्र			✓	✓	
6	CWC द्वारा जारी प्रमाण पत्र					✓

यदि SECC 2011 पर अन्वेषण करने काई प्रमाण पत्र है तो उसका फोटोकॉपी साथ रखें।



बिलासपुर में प्रशिक्षण, रायगढ़ में प्रशिक्षण, राजनांदगांव में ग्राउंड अभियान, बालोद में नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण, बलरामपुर और रायगढ़ के नोडल अधिकारियों और निजी स्कूल प्रशासकों का प्रशिक्षण, आरटीई हेल्पलाइन बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के साथ चर्चा, माननीय शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ द्वारा जारी की जा रही प्रतिपूर्ति राशी, दुर्ग में नोडल अधिकारियों एवं दंतेवाड़ा में डीईओ संचालक के साथ इंडस एक्शन की टीम।

